



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-345

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 310450 दिनांक 01/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Indra Devi Nama W/o Gopal Lal Nama	श्री गोपाल लाल छीपा पुत्र श्री गुलाब चन्द	23	114.84 SQ. YARD	Private	GYAN VIHAR	Name Transfer	श्रीमती इन्द्रा देवी नामा पत्नी स्व0 श्री गोपाल लाल नामा द्वारा निजी खातेदारी की योजना ज्ञान विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या 23 क्षेत्रफल 114.84 वर्गमी0 का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 09.10.2024 को श्री गोपाल लाल छीपा पुत्र श्री गुलाब चन्द के नाम जारी किया गया था। लीजधारक श्री गोपाल लाल छीपा की मृत्यु दिनांक 18.10.2024 को हो चुकी है। इनके मृत्यु के पश्चात इनके विधिक वारिस क्रमशः 1.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्रीमती इन्द्रा देवी
नामा (पत्नी), 2.
श्री रवि कुमार
नामा एवं श्री
राहुल कुमार नामा
(पुत्र), 3. श्रीमती
रजनी नामा (पुत्री)
हैं। तत्पश्चात श्री
रवि कुमार नामा,
श्री राहुल कुमार
नामा एवं श्रीमती
रजनी नामा द्वारा
आवेदित भूखण्ड
को पंजीकृत
हकत्याग पत्र
दिनांक
16.06.2026 के
माध्यम से अपनी
माता श्रीमती इन्द्रा
देवी नामा पत्नी
स्व० श्री गोपाल
लाल नामा के पक्ष
में हकत्याग
निष्पादित किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Indra Devi Nama W/o Gopal Lal Nama को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पश्चात समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004